नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रधानमंत्री आवास योजना, 107–109 तथा 116, प्रथम तल, पालिका प्लाजा फेस–2, इन्दौर
मोबाईल नं. :– +91–84620 16441, 84620 16442, www.imcindore.org

प्रधान मंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना, 1BHK हेतु आवासीय इकाई आवंटन की शर्तें

1. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित सभी तरह की आवासीय इकाईयाँ में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अचल सम्पत्ति का अन्तरण) नियम 2016 के नियम 9 अनुसार विभिन्न वर्गो के लिए इकाईयों में निम्नानुसार आरक्षण किया गया है। आरक्षित वर्गों की इकाईयों की संख्या की सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अ.	अनुसुचित जनजाति	02 प्रतिशत
ब.	अनुसुचित जनजाति (महिला)	02 प्रतिशत
स.	अनुसुचित जाति	14 प्रतिशत
द.	अनुसुचित जाति (महिला)	02 प्रतिशत
क.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05 प्रतिशत
ख.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	01 प्रतिशत
ग.	अनारक्षित (महिला)	05 प्रतिशत
घ.	दिव्यांग	02 प्रतिशत

(नोट :– उक्त समस्त आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाना आवश्यक है अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।)
विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :–

अ.क.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1.	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2.	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4.	दिव्यांग	जिला मेडिकल बोर्ड

2. दिव्यांगों को यथासम्भव प्रथम तल पर आवासीय इकाई का आवंटन किया जावेगा।
3. आवासीय इकाई प्राप्त करने के लिए ऐसे परिवार पात्र होगें **(i)** जिनके नाम से देश के किसी भाग में स्वयं या परिवार (परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगे।) के किसी भी सदस्य के नाम पक्का भवन नहीं होना चाहिए इस संबंध में निर्धारित शपथ–पत्र नोटरी के द्वारा **50 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल** स्टॉम्प पेपर पर सत्यापित कर देना होगा। आवेदन पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत न करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। **(ii)** परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ₹ 3,00,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिये।
4. आवेदक द्वारा जिस आरक्षित श्रेणी हेतु आरक्षित आवासीय इकाई के लिए आवेदन किया है आवेदन उसी आरक्षित श्रेणी हेतु मान्य होगा।
5. आवासीय इकाईयों का आवंटन फ्री होल्ड पर पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा।
6. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों को आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित संख्या में आरक्षण अनुसार आवासीय इकाईयों का आंवटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
7. आवेदन पत्र के साथ आवासीय इकाई की निर्धारित राशि का 05 प्रतिशत राशि ₹ 35,000/– का डी.डी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. लॉटरी पद्वति से आवंटन के पश्चात आवेदक को निम्नानुसार राशि जमा कराना होगी :–

क्र.	विवरण	इकाई के मूल्य का प्रतिशत	इकाई के मूल्य की राशि
1.	आवंटन पत्र जारी होने पर एक माह के अंदर	10 %	₹ 70,000/–
2.	आवंटन पत्र जारी होने पर चार माह के अंदर	25 %	₹ 1,75,000/–
3.	आवंटन पत्र जारी होने पर सात माह के अंदर	25 %	₹ 1,75,000/–
4.	आवंटन पत्र जारी होने पर दस माह के अंदर	25 %	₹ 1,75,000/–
5.	आधिपत्य के पूर्व	10 %	₹ 70,000/–

9. उक्त राशि आवेदनकर्ता स्वयं के स्त्रोतों से अथवा पात्रता अनुसार बैंक से ऋण लेकर जमा कर सकता है। बैंक से ऋण लेने की स्थिति मे त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

10. आवेदक का पंजीयन होने के पश्चात लॉटरी पद्वति से आवासीय इकाई आवंटन दिनांक के पूर्व यदि आवेदक लॉटरी पद्धति से आवंटन की प्रक्रिया में शामिल होने से इन्कार करता है अथवा पंजीयन राशि वापसी की मांग करता है, तो आवेदन के साथ जमा पंजीयन राशि की 50 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष 50 प्रतिशत राशि वापस की जावेगी।
11. आवंटन आदेश में अंकित समय सीमा में राशि जमा न करने पर निर्धारित अवधि (Timeschedule) से 60 दिवस तक बकाया राशि 10 प्रतिशत विलंब ब्याज के साथ जमा कराई जा सकेगी। 60 दिवस पश्चात जमाशुदा राशि राजसात कर इकाई का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
12. आवेदक को सम्पत्ति का मूल्य विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित शर्तो के अधीन जमा कराना होगा। जिसके संबंध में आंवटन आदेश में भी उल्लेख किया जावेगा।
13. योजना का निर्माण एवं विकास कार्य निर्धारित समयानुसार करने का प्रयास किया जावेगा। परन्तु निर्माण कार्य में विलंम्ब होने की स्थिति में आवंटिती को निर्धारित समयावधि (Timeschedule) में ही राशि जमा करना होगी। इस सम्बंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
14. आवासीय इकाई के सम्बंध में प्रकोष्ठ अधिनियम के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
15. आवंटिती की मृत्यु होने पर विधिक वारिसों के नाम तत्समय के नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार नामांतरण हो सकेगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क देय होगा।
16. आवासीय इकाई पूर्णतया आवासीय उपयोग के लिये है। आवासीय इकाई का अन्य उपयोग आवंटन की शर्तो का उल्लंघन समझा जावेगा।
17. आवासीय इकाई में परिवर्तन/परिवर्धन निगम की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
18. किसी भी कारण से आवंटन निरस्त होने पर आवासीय इकाई का रिक्त आधिपत्य शांतिपूर्ण तरीके से आवंटिती द्वारा निगम प्राधिकारी को सुपुर्द करेगा।
19. आवंटिती द्वारा आवासीय इकाई के लिये विद्युत संयोजन, जल संयोजन संबंधित विभाग से स्वयं लेना होगा तथा इस हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इसी के साथ कॉमन सर्विस चार्जेस का भुगतान भी करना होगा।
20. आवेदक के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तित पते की जानकारी नगर पालिक निगम, इन्दौर को लिखित में उपलब्ध कराना होगी।
21. आवासीय इकाई आवंटन हेतु जारी विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तें आवंटिती पर बंधनकारक होगी। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर इकाई से बेदखल करने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
22. आवंटिती को प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर आवास आवंटित किया जा रहा है भविष्य में परीक्षण उपरांत दस्तावेज असत्य/फर्जी पाये जाते हैं तो आवास आवंटन निरस्त कर आवंटिती के विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
23. आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
24. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश का पालन आवंटिती को करना होगा, साथ ही केन्द्र, राज्य सरकार तथा नगर पालिक निगम, इन्दौर के समस्त करों का भुगतान (जी.एस.टी. सहित) आवंटिती को करना होगा।
25. किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र नगर पालिक निगम, इन्दौर की सीमा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय रहेगा।
26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान :– इन्दौर,
दिनांक :– .....

आवेदक के हस्ताक्षर
.....